



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-02092022-238555
CG-RJ-E-02092022-238555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3959]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944

No. 3959]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 23 अगस्त, 2022

का.आ. 4135(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपबद्ध अनुसूची में दिया गया है। राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में विशेष रेल परियोजना “राईका बाग-डेगाना दोहरीकरण की विशेष रेल परियोजना ” के विकास हेतु के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात् उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) जोधपुर, जिला – जोधपुर राजस्थान को लिखित में किया और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के मध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राईका बाग –डेगाना दोहरीकरण की विशेष रेल परियोजना हेतु जोधपुर तहसील में अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	उपखण्ड /तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वे /खसरा सं.	क्षेत्रफल(हेक्टेयर)
1	जोधपुर	जाजीवाल खिचियान चक-3 देवरा	32	0.0550
	कुल			0.0550 हेक्टेयर

[फा. सं. उपरे /मुख्या.सा.&नि./443599200 भाग-2]

वृजेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 23rd August, 2022

S.O. 4135(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 20A of the Railway Act 1989, (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project of namely, "Rai ka –Bagh-Degana Doubling Project" in district Jodhpur in the state of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to competent authority, namely, the Sub divisional officer, (North), Jodhpur District Jodhpur, Rajasthan, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objection and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired ,with or without structure,for the Special Railway Project,namely ,Rai ka Bagh-Degana Doubling Project in Jodhpur Tehcil in the State of Rajasthan

S.No.	Name of the Sub Division/ Tehcil	Name of the Village	Survey/Khasra No.	Area(in Hactare)
1	Jodhpur	Jajiwal Khichiyan ChAK-3 Devra	32	0.0550
	T/L			0.0550 Hactare

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.II)

BRIJESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)